04.11.25

प्रार्थी अभिभाषक द्वारा पत्रावली आज तलब करने से पेश हुई। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना-पत्र आदेश 23(3)(ख), (4)(ख) CPC का पेश कर मुल प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128 L.R. Act का विड्रो किये जाने का निवेदन किया लिहाजा प्रकरण मे कार्यवाही पूर्वी स्टेज पर ड्रोप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम की जा कर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:34:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner